

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1, सागर (म.प्र.)

☎ : 07582-223809 (सिविल कोर्ट के पास) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001

E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,

पत्र क्र० 3646 /कार्य /2018-19

सागर, दिनांक: 12/11/2018

प्रति,

अपरप्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी
वन प्रबंधन,
सतपुड़ा भवन (म.प्र.)

विषय:- बरौदा जलाशय योजना के वन प्रकरण भाग-1 का प्रकरण ऑनलाइन करने बावत।

संदर्भ:- (i) न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर का आदेश पारित दिनांक 28.09.2018.
(ii) न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर का आदेश पारित दिनांक 22.05.2018

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बरौदा जलाशय योजना के डूब में आ रही कुल 21.06 हे. वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि ग्राम- (फुलवारी) प.ह.न. 22 खसरा नं.- 1 में वृक्षारोपण हेतु कुल रकवा 25 हे. में से 10.08 हे. हस्तांतरित की गई थी, जिसके Geographical Coordinates एवं KML Online पोर्टल में संलग्न है। शेष भूमि रकवा 10.98 हे. पूर्व में ग्राम हरद्वानी प.ह.न. 47 तहसील बण्डा जिला सागर को आवंटित कुल भूमि रकवा 14.26 हे., खजरा जलाशय योजना मान्य न होने के कारण निरस्त एवं उक्त भूमि वन विभाग के अधिपत्य में होने एवं अतिशेष की श्रेणी में होने से उक्त भूमि अनुविभागीय अधिकारी बण्डा एवं तहसीलदार बण्डा एवं वन मंडल अधिकारी उत्तर वन मंडल सागर की सहमति पर बरौदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त भूमि कुल रकवा 14.26 हे. में से आवश्यक राजस्व भूमि रकवा 10.98 हे. समायोजित करते हुए कलेक्टर सागर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा आदेश प्रसारित किए गए थे। उक्त 10.98 हे. भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

पृ. क्र० 3646 /कार्य/2018-19

प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वन मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

(बी.एस. मोहनिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1,
सागर (म.प्र.)
सागर, दिनांक 12/11/2018

(बी.एस. मोहनिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1,
सागर (म.प्र.)

वचन-पत्र

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित/हस्तांतरित राजस्व भूमि में वृक्षारोपण हेतु होने वाला व्यय जल संसाधन विभाग वहन करेगा।

(बी.एस. मोहनिया)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्र. 1,
सागर (म.प्र.)